

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित : 02 जुलाई, 2024

उद्घोषित : 18 जुलाई, 2024

ले.पे.अ. 576/2023 व सि.वि.आ. 39929/2023

जामिया मिलिया इस्लामिया

.....अपीलार्थी

द्वारा :

श्री प्रीतीश सभरवाल, स्थायी
अधिवक्ता सह सुश्री श्वेता
सिंह, अधिवक्ता

बनाम

शकील अहमद

.....प्रत्यर्थी

द्वारा :

श्री रजत अनेजा, श्री आदित्य
शर्मा व सुश्री नताशा अग्रवाल,
अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत माननीय

न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

निर्णय

न्या. सुरेश कुमार कैत.

1. अपीलार्थी-जामिया मिलिया इस्लामिया ("विश्वविद्यालय") ने रि.या.(सि)
8957/2020 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय

दिनांकित 10.07.2023 के विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांकित 04.09.2018 को रद्द कर दिया गया था। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल करने का निर्देश भी जारी किया गया है, जिससे दिनांक 31.12.2019 से पुनः नियुक्ति तक की अवधि के लिए 50% पिछले वेतन के साथ अन्य परिणामी लाभों सहित, 65 वर्ष की आयु में उसकी बहाली को अनुमति दी गई है।

2. वर्तमान अपील में, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि प्रत्यर्थी को दिनांक 26-08-1986 पर प्रभावी रूप से समाजशास्त्र विभाग में अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 08-02-1989 को उसी पद पर नियमित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी को दिनांक 31.12.1999 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उक्त पद से सेवानिवृत्त किया गया था।

3. अपीलार्थी-विश्वविद्यालय अपने स्वयं के अधिनियम, कानूनों, अध्यादेशों और समय-समय पर जारी और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ("एमएचआरडी") द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ("यूजीसी") द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों द्वारा शासित होने का दावा करता है। अपीलार्थी- विश्वविद्यालय के अनुसार, प्रत्यर्थी, जिसे यूजीसी द्वारा स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था; उसकी सेवानिवृत्ति की

आयु के संबंध में कोई भी निर्णय इस संबंध में यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अपेक्षाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

4. अपीलार्थी ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा यूजीसी को प्रदान किए गए दिनांक 31.12.2008 के पत्र एफ. सं. 1-32/2006-यू॥ के संदर्भ में, विश्वविद्यालय में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पदनाम होंगे, जिनमें सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा, एमएचआरडी ने अपने पत्र सं. 1-32/2006-यू॥/यू.।(1) दिनांकित 31.12.2008 के द्वारा सचिव, यूजीसी को सूचित किया कि अधिवर्षिता की आयु के संबंध में “अन्य नियम और शर्तें” शीर्षक वाली श्रेणी में खंड (च) में, पत्र एफ.सं. 1-19/2006-यू॥ दिनांकित 23-03-2007 के माध्यम से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले ही बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, कार्यकारी परिषद (मजलिस) ने अपने पत्र सं. ईसी-1009 संकल्प संख्या 8 के माध्यम से, पहले ही उपरोक्त प्रावधान को अपना लिया है और विश्वविद्यालय के नियमों में अनुमोदित प्रारूप को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया है।

5. अपीलार्थी- विश्वविद्यालय ने अपने ईसी-2021: संकल्प -12 द्वारा दिनांक 30.06.2021 की अपनी बैठक में, रिट याचिका के संबंध में यूजीसी से अपने पत्र सं. एफ.25-9/2020(सीयू) दिनांकित 16.03.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण

प्राप्त किया, जो निम्नानुसार है :-

“यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार, 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति की आयु केवल शिक्षकों के लिए है। इसलिए, अनुसंधान सहायक के पद के लिए 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु नहीं बढ़ाई जा सकती है क्योंकि यह शिक्षकों के समकक्ष नहीं है।”

6. अपीलार्थी के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने यूजीसी द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में दिनांक 05.08.2021 की अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में काम कर रहे अनुसंधान सहायक के पद के लिए अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष तय करने की मंजूरी दी है।

7. अपीलार्थी के अनुसार, अनुसंधान सहायक के पद की पेशकश प्रत्यर्थी को दिनांक 20.08.1986 के नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उसकी नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी थी और उसकी सेवा अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के नियमों, विनियमों और उपनियमों, जैसे भी समय-समय पर संशोधित हों, द्वारा शासित होगी।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया कि वह अधिवर्षिता की आयु और वेतनमान के उद्देश्य से शिक्षकों की श्रेणी में आता है। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उसे कक्षा शिक्षक (यूजी-पीजी), पाठ्यक्रम डिजाइनिंग,

प्रश्न पत्र बनाना (यूजी-पीजी), उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, एमए और बीए (ऑनर्स), समाजशास्त्र के छात्रों के लिए भागीदारी अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी और अन्य कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया था, जो केवल शिक्षकों को सौंपे गए हैं और इस प्रकार, अपीलार्थी का कार्यालय आदेश दिनांकित 04.09.2018, जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31.12.2019 अर्थात् 60 वर्ष की आयु तय की गई है, अवैध है क्योंकि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 09.11.2017 के अनुसार वह आयु 65 वर्ष होनी चाहिए।

9. दूसरी ओर, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने दिनांक 23.03.2007 के पत्र द्वारा यूजीसी को एमएचआरडी के विभिन्न संचारों पर भरोसा करने का दावा किया है, जिसमें केवल "शिक्षण" पदों के लिए अधिवर्षिता की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी। विश्वविद्यालय के नियमों में विभिन्न संशोधनों; एमएचआरडी द्वारा यूजीसी को दिनांक 31.12.2008 के पत्र और अपीलार्थी के संकल्प संख्या 8 पर भी यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया गया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के संबंध में तीन पदनाम होंगे अर्थात् सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक।

10. दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी

द्वारा दायर की गई याचिका को अनुमति देते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की :-

“25. जामिया द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे इसके उद्देश्य को इस एक कारण से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कि इन किसी भी निर्णयों में 1988 के अधिनियम के विनियम XI या धारा 2(ढ) पर विचार नहीं किया गया था। सभी निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 31.12.2008 के पत्र और/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों पर आधारित हैं, जिनका सामान्य प्रभाव है परंतु वे विशेष विनियम और इससे भी महत्वपूर्ण कानून अर्थात् 1988 अधिनियम के अध्यारोही नहीं हो सकते हैं, जिसके आधार पर जामिया में एक अनुसंधान सहायक का पद, जहां पदधारी शिक्षण प्रदान करता है, "शिक्षक" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। वास्तव में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इन निर्णयों में से प्रत्येक में, न्यायालयों ने यह टिप्पणी करके एक अंतर प्रस्तुत किया है कि संबंधित पदों पर पदधारी कक्षा शिक्षण में शामिल नहीं थे और पद किसी भी कानून या विनियम के अंतर्गत नहीं था।

11. सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा पारित दिनांक 31.07.1992 के विनियम की विवेचना नहीं की, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संबंध में सेवाओं की शर्तों का उल्लेख किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि विश्वविद्यालय के तहत नियुक्त शिक्षकों की सेवा की शर्तें वही होंगी जो सेवा के अनुबंध में शामिल हैं, जिस पर एक शिक्षक

का विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करते समय हस्ताक्षर करना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यर्थी, जिसे अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, के साथ ऐसा कोई अनुबंध कभी नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुसंधान सहायक के पद को "शिक्षक" के बराबर नहीं रखा जा सकता है और यूजीसी और एमएचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के आधार पर, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा ली गई विभिन्न अधिसूचनाओं और संचारों से, शिक्षकों में केवल प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक शामिल होंगे।

12. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 21.07.1992 के विनियम XI को आधिकारिक राजपत्र में कभी प्रकाशित नहीं किया गया था। हालांकि, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए अध्यादेश और निर्णय हैं, जो स्पष्ट रूप से शिक्षक की परिभाषा को दर्शाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी विश्वविद्यालय ने अपनी दिनांक 09.11.2017 की अधिसूचना के माध्यम से "जामिया कर्मचारियों (शिक्षकों, निबंधक और वित्त अधिकारी के अलावा) की सेवा के नियम और शर्तें" शीर्षक वाले अध्यादेश VI में स्पष्ट रूप से अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष या यूजीसी द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर मजलिस-ए-मुंतज़िमा (कार्यकारी परिषद) द्वारा समर्थित के रूप में निर्दिष्ट की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक कर्मचारी

कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाए जाने पर समय-पूर्व सेवानिवृत्त हो सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी के मामले को वर्तमान अध्यादेश द्वारा शासित किया जाना चाहिए और वह शिक्षक के बराबर कोई लाभ नहीं मांग सकता है।

13. सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(ढ) और अध्यादेश 5(V) अवकाश नियम, 2021 के प्रावधानों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जो शिक्षकों को प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें नामित शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

14. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न समय सारिणी पर निर्भरता रखी गई है ताकि यह दिखाया जा सके कि वह एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, हालांकि, वह केवल सेमेस्टर 2 के बीए ऑनर्स से संबंधित डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण के तरीकों के संबंध में अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल था। एक अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त होने के बाद, प्रत्यर्थी इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है जो अनुसंधान सहायक से संबंधित थे। प्रत्यर्थी के दावे के संबंध में कि वह एक "निरीक्षक" था, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न अन्य कर्मचारी, जो "शिक्षक" नहीं हैं, उन्हें कर्तव्यों की ऐसी प्रकृति सौंपी गई है जो परीक्षा के

निरीक्षण तक सीमित नहीं हैं। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश प्रदान करने के पहलू पर, अपीलार्थी का तर्क यह है कि इस तरह का अवकाश प्रत्यर्थी के पदनाम के प्रति प्रदान किया गया था और उसे कभी भी शिक्षक के रूप में नामित नहीं किया गया था।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और मानक बनाए रखने के लिए अन्य उपाय उच्च शिक्षा विनियम, 2018 दिनांकित 18.07.2018 में जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि *केवल सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक और वरिष्ठ प्राध्यापक जैसे शिक्षक*, जिसे अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.07.2018 की अधिसूचना के माध्यम से अपनाया गया है।

16. यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रत्यर्थी का मामला अलग है ***एस दिलदार हैदर बनाम जामिया मिलिया इस्लामिया और अन्य***, मनु/डीई/8920/2006 (रि.या.(सि) 2829/2003 में 18.08.2006 को निर्णीत) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर त्रुटिपूर्ण रूप से भरोसा किया है, क्योंकि यहां इसमें प्रत्यर्थी को कभी भी शिक्षक के रूप में नामित नहीं किया गया था। इस प्रकार, गुणागुण रहित होने के कारण दिनांक 10.07.2023 के निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना की गई।

17. इसके विपरीत, वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी का रुख यह है कि वह पिछले 32 साल से एक शिक्षक के रूप में अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की सेवा में रहा है और अपने लंबे कार्यकाल में, उसे कक्षा शिक्षण (यूजी-पीजी), पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, प्रश्न पत्र बनाने (यूजी और पीजी), उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, एमए और बीए (ऑनर्स), और समाजशास्त्र के छात्रों के लिए भागीदारी अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी के कर्तव्यों को सौंपा गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के मासिक वेतन के लिए उपस्थिति विवरण में, प्रत्यर्थी को हमेशा शिक्षक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यहां तक कि उसके अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश भी शिक्षकों की पात्रता के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी को अध्यादेश 5(V), धारा 5(i)(ख) के अनुसार छुट्टी के दौरान की गई इयूटी के बदले अर्जित अवकाश दिया गया था जो केवल एक 'शिक्षक' के लिए उपलब्ध है।

18. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इसी तरह प्रत्यर्थी के समान कर्तव्यों का पालन करने वाले एक अन्य शोध सहायक को जनवरी, 1997 में वेतन उन्नयन प्रदान किया गया था और प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के कुलपति को दिनांक 16.05.2001 और 26.07.2001 को समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख और डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय, की उचित सिफारिश के साथ उसी के साथ समानता की मांग करते हुए पत्र लिखा था, जो अनुत्तरित रहा।

19. प्रत्यर्थी ने कुलपति को लिखे दिनांक 19.02.2002 के पत्र के माध्यम से पदोन्नति के अवसरों के सृजन की मांग की थी और दिनांक 30.07.2018 को एक अभ्यावेदन भी दिया था जिसमें शिक्षण के दर्जे, वेतनमान पर समानता और पदोन्नति के अवसरों के बारे में उनके सेवा रिकॉर्ड में सुधार की मांग की गई थी।

20. प्रत्यर्थी की अधिवर्षिता की आयु 31.12.2019 के संबंध में दिनांक 04.09.2018 के कार्यालय आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी ने रजिस्ट्रार और कुलपति को दिनांक 12.10.2018, 31.10.2018, 05.11.2018 और 11.07.2019 को विभिन्न अभ्यावेदन और पत्र दिए थे, जिसमें उसकी स्थिति और उसकी अधिवर्षिता की आयु में सुधार को स्पष्ट किया गया था और यहां तक कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की स्थापना समिति ने भी दिनांक 17.07.2019 की अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि प्रत्यर्थी की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष मानी जाए और अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की स्थापना समिति की एक उप-समिति ने दिनांक 04.09.2019 की अपनी बैठक में सिफारिश की कि प्रत्यर्थी को नियमित शिक्षण संकाय के बराबर सहायक प्राध्यापक माना जाए, हालांकि, कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

21. इसलिए प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका अर्थात् रि.या.(सि) 13058/2019 दायर की थी, जिसमें दिनांक 04.09.2018 के कार्यालय आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 11.12.2019 के आदेश के

माध्यम से निपटाया था, जिसमें अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को 17.07.2019 को अपनी स्थापना समिति और दिनांक 04.09.2019 को स्थापना समिति की उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने दिनांक 19.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या 2.8क(13) दिनांकित 22.11.2019 के अनुसरण में प्रत्यर्थी के शिक्षक के रूप में व्यवहार किए जाने के दावे पर विचार करने के लिए पांच सदस्यों की एक समिति का गठन किया। तथापि, ऐसी सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। प्रत्यर्थी की दिनांक 31.12.2019 को अधिवर्षिता आयु पूर्ण हुई और अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने अपनी बैठक दिनांकित 26.06.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी के मामले को विचार के लिए यूजीसी को भेज दिया।

22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 19-03-2021 के पत्र सं एफ-25-9/2020 (सीयू) में स्पष्ट किया है कि यूजीसी विनियम, 2018 के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु केवल शिक्षकों के लिए 65 वर्ष निर्धारित की गई है, और इसलिए, इसे अनुसंधान सहायक को नहीं प्रदान किया जा सकता क्योंकि वे ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रत्यर्थी के अनुसार, यूजीसी के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि 65 वर्ष के रूप में सेवानिवृत्ति की आयु के दायरे में अनुसंधान सहायक के पद को नहीं लिया जा सकता है।

23. अंत में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने 32 वर्षों तक अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की सेवा की और एक "शिक्षक" को सौंपे जाने वाले कार्यों को पूरा किया और इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से दिनांक 04.09.2018 के आक्षेपित कार्यालय आदेश को रद्द कर सही किया है और इस प्रकार, उसके विरुद्ध वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

24. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलीलों को विस्तार से सुना गया और दिनांक 10.07.2023 के आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री का इस न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है।

25. इस न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी, जो अपीलार्थी-विश्वविद्यालय में अनुसंधान सहायक के पद पर था, 65 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता के उद्देश्य से "शिक्षकों" की श्रेणी में आता है?

26. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 23-03-2007 के अपने पत्र के तहत शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी को लिखे अपने पत्र संख्या 1-32/2006-यू ॥ दिनांक 31.12.2008 के द्वारा 'सामान्य' श्रेणी के खंड 1 (i) में उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के संबंध में तीन पदनाम होंगे, नामतः

सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक। इसके अलावा, "सेवानिवृत्ति की आयु" शीर्षक के साथ उप-पैरा (च) में श्रेणी 'अन्य नियम और शर्तें' के खंड 8 में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए, अधिवर्षिता की आयु पहले ही बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है और यह विवादित नहीं है कि इसे अपीलार्थी- विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अपनाया गया है।

27. अपीलार्थी-विश्वविद्यालय का रुख यह है कि प्रत्यर्थी को अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसका पदनाम और उसके द्वारा किया गया कर्तव्यों का पालन किसी भी तरह से उसे "शिक्षक" के रूप में मानने का संकेत नहीं करता है और इसलिए, वह अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है। हालांकि, यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, प्रश्न पत्रों को बनाने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदि के कर्तव्यों का पालन कर रहा है।

28. इसके अलावा, जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 की धारा 2(ढ) 'शिक्षक' को निम्नानुसार परिभाषित करती है :-

"धारा 2(ढ) :- "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से प्राध्यापक, रीडर, लेक्चरर और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय में अनुदेश देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएँ और अध्यादेशों द्वारा शिक्षक के रूप में

पदनामित किए जाएँ।”

29. एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार

टिप्पणी की है:-

"33. उच्चतम न्यायालय ने उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाम मुथुरंगम के रूप में प्रकाशित अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिवर्षिता की आयु के संबंध में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच समानता के संबंध में, यद्यपि दोनों श्रेणियों को समान नहीं किया जा सकता है, तथापि, जहां तक संभव हो, समानता प्रदान करने के सांविधिक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को, किसी वैधानिक निषेध के अभाव में, सेवानिवृत्ति की समान आयु निर्धारित करनी चाहिए। इस मामले में भी, वह अधिसूचना जिसमें 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, पैरा 16.2.0 द्वारा निर्धारित करती है कि 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु वाले अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों (शिक्षकों की तरह) को और उस संबंध में उनके साथ 'समतुल्य' माने जाने वालों को भी सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ प्राप्त होना चाहिए। कुछ पदों (रजिस्ट्रार, पुस्तकालयाध्यक्ष, आदि) के नाम का उल्लेख करने और लाभ के दायरे का विस्तार करने का उद्देश्य, इसलिए 'अन्य' का विस्तृत होना था, अन्य को आवश्यक रूप से शिक्षकों, (या रजिस्ट्रार/ पुस्तकालयाध्यक्ष) की तरह होना था, लेकिन कभी भी केवल शिक्षक होने का उद्देश्य नहीं किया जा सकता था। यदि उद्देश्य उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ प्रदान करने का नहीं

था जो शिक्षकों के बराबर थे -उस संबंध में, जैसे अनुदेशक, तो जामिया ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसके दायरे में कौन आएगा। इसके अलावा, 'अन्य' के संदर्भ को अर्थ और आशय दिया जाना चाहिए- जैसा कि वास्तव में मामला होगा यदि प्रशिक्षकों को दायरे में लेना अभिनिर्धारित किया जाता है; कोई अन्य व्याख्या पैरा 16.2.0 के उत्तरार्द्ध भाग को अधिशेष बना देगी।

30. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की स्थापना समिति ने दिनांक 17.07.2019 को आयोजित अपनी बैठक में प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की थी :-

"समिति ने प्रासंगिक कानून, अध्यादेश, विनियमों के साथ-साथ पालन किए गए कर्तव्यों का, जो अध्ययन बोर्ड द्वारा विधिवत सौंपे गए और समाजशास्त्र विभाग में अनुसंधान सहायक श्री शकील अहमद द्वारा निर्वहन की गई अन्य जिम्मेदारियों और दिलदार हैदर, प्रशिक्षक, शिक्षा संकाय, के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए अभिवचन के प्रकाश में मामले की जांच की है। विस्तृत चर्चा के बाद और जामिया में शिक्षण, परीक्षा, के प्रति सेवा की पूरी अवधि, अवकाश पात्रता के साथ-साथ विश्वविद्यालय के कॉर्पोरेट जीवन में योगदान को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की है कि अनुसंधान सहायक के पद को दिनांक 01.01.2020 से (यानी दिनांक 31.12.2019 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अगली तिथि से) अधिसंख्य शिक्षण पद के तहत मानकर अनुसंधान सहायक की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष

मानी जा सकती है। आयु 65 वर्ष है या किसी भी कारण से उक्त पद को खाली कर देता है।

31. अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की उप-समिति द्वारा दिनांक 04.09.2019 की एक अन्य बैठक में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थे। इसके अलावा, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख ने दिनांक 05.08.2009 के पत्र के माध्यम से एक शिक्षक के रूप में प्रत्यर्थी की भूमिका को स्वीकार किया।

32. इसके अलावा, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की आवंटन समिति ने दिनांक 20.07.1992 को आयोजित बैठक में उसे "शिक्षक" की श्रेणी में मानते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी कर क्वार्टर आवंटित किया है :-

"जनाब शकील अहमद साहब, अनुसंधान सहायक, समाजशास्त्र विभाग, का नाम 20 जुलाई, 1992 को हुई बैठक में प्रस्तुत खाली घरों के आवंटन के लिए वरिष्ठता की सूची में शामिल नहीं किया गया था। जनाब शकील अहमद ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि वह शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं और इस तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने विनियम XI और जामिया अधिनियम 2 (ढ) का हवाला दिया। विनियम XI और जामिया अधिनियम 2(ढ) की जांच करने के बाद, उनका अभ्यावेदन इस तथ्य के बारे में वैध पाया गया कि अनुसंधान सहायकगण शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं।

33. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रत्यर्थी के पास बी.एससी (जीव

विज्ञान), बी.एड., एम.ए. की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है और इस प्रकार वह "शिक्षक" के रूप में नियुक्त होने की अपेक्षित शर्त को पूरा करता है।

34. हमारी सुविचारित राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1988 के अधिनियम की धारा 2(ढ) और विनियम XI और प्रत्यर्थी के स्वीकृत अवकाशों के संबंध में अध्यादेश 5 (V) के प्रावधान पर विचार करने के बाद सही माना है कि प्रत्यर्थी "शिक्षक" की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इस प्रकार 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का हकदार है।

35. पूर्वोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 10.07.2023 के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को चार सप्ताह के भीतर उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करने के निर्देश के साथ खारिज की जाती है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

(गिरीश कठपालिया)
न्यायाधीश

18 जुलाई, 2024
आर/यूके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।